

श्री राज नाथ सिंह, गृहमंत्री, भारत सरकार;
गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट,
नई दिल्ली-११००११ - jscpg-mha@nic.in
फैक्स ०११ २३०९ ४२२१ फोन २३०९ २४६२/४६८६

आदरणीय गृहमंत्रीजी,

वंदे कामधेनु मातरं !

विषय: संविधान + कानून + सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन।

बंगलादेश गौवंश की तस्करी रोकने के कड़े निर्देश देने के लिये धन्यवाद। संविधान का अनुच्छेद ४८ और ५१ सरकार को गौवंश का संरक्षण और संवर्धन करने + उनके प्रति करुणा पूर्ण व्यवहार करने का निर्देश देता है। पशु क्रूरता निवारक अधिनियम १९६० के अनुसार किसी पशु को पीटना भी दंडनीय अपराध है। **सर्वोच्च न्यायालय** के आदेश दिनांक १६-११-९४ के अनुसार "बकरीद पर गौवंश की कुर्बानी गैरकानूनी है"। २६-१०-२००५ के अनुसार "गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध संवैधानिक है और वह मृत्यु तक काम का रहता है क्योंकि उसका गोबर और गौमूत्र खेती के काम आता है।"

आप कानून और आदेशों का पालन करवाने वाले सर्वोच्च व्यक्ति हैं। कृपया विज्ञापन दें "गौवंश की कुर्बानी निषेध" या संविधान, कानून और आदेशों का सारांश का ताकि एक भी गौवंश की कुर्बानी, तस्करी और कत्लखानों में हत्या न हो, और संविधान+सर्वोच्च न्यायालय के मान+गौवों के प्राण की रक्षा हो। यह किसी धर्म या संप्रदाय विशेष का प्रश्न नहीं है। यह भारत की अर्थ व्यवस्था, स्वास्थ्य, खेती, किसान, कानून, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के मान का प्रश्न है।

प्रतिलिपि : मीडिया+सर्वोदय विचार परिषद्, १३२/१, महात्मा गाँधी रोड, कलकत्ता-७; satyagrah2@gmail.com

Write in your own language or copy paste matter on your pad and send letters today

To,
The Chief Secretary of West Bengal,
Nabanna- HRBC Building, 325, Sarat Chatterjee Rd,
Fax-033 22145480/22144328; cs-westbengal@nic.in
Howrah-711102

Dear Sir,

Re: Implementation of Law & Orders of Supreme Court and High Court.

Hon'ble High Court of Kolkata had ordered in case no. W.P. 16749 (W) of 2011 on **2.11.11** that - **"THE CHIEF SECRETARY AND ALL FUNCTIONARIES OF THE STATE AND LOCAL BODIES WOULD STRICTLY IMPLEMENT THE ORDER PASSED BY THIS COURT FROM TIME TO TIME FOR EFFECTIVE AND MEANINGFUL IMPLEMENTATION OF THE SAID ACT"**. And in W.P. 1378, AND 21591(W) dt **12-11-2010** that **"THE DECISION OF THIS COURT BANS SLAUGHTER OF COW ON THE OCCASION OF IDD AS RELIGIOUS RITUAL. JUDGMENT BY THE SUPREME COURT STILL HOLDS GOOD. THE AUTHORITIES ARE, THEREFORE BOUND TO IMPLEMENT THE PROVISIONS OF WEST BENGAL ANIMAL SLAUGHTER (CONTROL) ACT, 1950."**

You are the senior most Government Official of West Bengal. Kindly **advertise essence of LAW and ORDERS, Or "GAUKURBANI NISHEDH"** and stop movement & markets so that not a single cow is sacrificed. Thus you can save the dignity of **Supreme Court and High Court and discharge your duty.**

CC to Media+Sarvoday Vichar Parishad, 132/1, M G Rd, Kolkata-7 satyagrah2@gmail.com